राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

खाद्य भवन, भू–तल, शासन सचिवालय, जयपुर–302005

पत्रांकः एफ 5(15) आ.प्र. एवं स.आ./पशु शिविर/2018/2520–41 जयपुर,दिनांक 26/03/19

जिला कलेक्टर (आ.प्र. एवं सहायता),
बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, हनुमानगढ़, पाली,
चूरू एवं नागौर।

विषयः– खरीफ सम्वत् 2075 में सूखाग्रस्त ग्रामों में पशुशिविर संचालन बाबत दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय पत्र क्रमांक 1525–45 दिनांक 13.1.19 द्वारा खरीफ सम्वत् 2075 में सूखाग्रस्त घोषित ग्रामों में पशुशिविर संचालन के संबंध में दिशानिर्देश जारी किये गये थे। उक्त दिशानिर्देशों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है–

1 घोषित पशुशिविर की भांति ही पशुशिविर संचालित करने वाली संस्था द्वारा राहत सहायता हेतु ऑनलाइन आवेदन किये जावेंगे। ऑफलाइन प्राप्त प्रस्तावों पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी।

2 इस प्रकिया के तहत पशुशिविर संचालकों द्वारा राहत सहायता हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 'www.sso.rajasthan.in' पर रजिस्ट्रेशर करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात् विभागीय एप्लीकेशन 'dmis' पर दिनांक 1 अप्रेल, 2019 को प्रातः 11.00 बजे से ऑनलाईन आवेदन प्रारम्भ किया जावेगा। पशुशिविरों हेतु आवेदन करते समय पंजीयन प्रमाणपत्र एवं शपथपत्र (प्रारूप संलग्न) पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना आवश्यक है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्राप्त आवेदन को सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा एक सप्ताह के अन्दर पशुसंख्या का प्रमाणीकरण एवं आवेदन–पत्र की जांच कर अपनी अनुशंषा सहित प्रस्ताव जिला कलक्टर को एवं जिला कलक्टर द्वारा आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को ऑनलाइन ही अग्रप्रेषित किये जावेंगें। तत्पश्चात् विभाग द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों की जिला कलक्टर द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जावेगी।

3 बिन्दु संख्या 20 की अनुपालना में किये गये निरीक्षणों की रिपोर्ट संबंधित अधिकारी द्वारा विभागीय एप्लीकेशन 'dmis' पर ऑनलाइन अपलोड की जावेगी।

शासन सचिव

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित हैः–

1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0., जयपुर।
2 विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, राज.,जयपुर
3 विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी ,राज.,जयपुर।
4 विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5 विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, गोपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6 वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राज0, जयपुर।
7 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
8 निजी सचिव, सचिव, पशुपालन एवं गोपालन, जयपुर।
9 निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
10 निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, अजमेर, बीकानेर, एवं जोधपुर।
11 निजी सचिव, जिला प्रभारी सचिव, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, हनुमानगढ़, पाली, चूरू एवं नागौर
12 वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।
13 प्रोग्रामर, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव

(13)